कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन मोहता पार्क के सामने ,चेटक सर्कल , उदयपुर (राज.) 313001
E-mail :-dcfudaipur@gmail.com Phone/Fax-(0294)2429239

क्रमांकः–एफ( )/तकनिकी/उ.व.स./2023–24/ 5760 दिनांकः–31/07/2023

निमित्त,
अधिशाषी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग,
परियोजना खंड–प्रथम, उदयपुर

विषयः– Submission of proposal for case of "Augmentation of Production from Jaisamand Lake, for UWSS Udaipur Including up gradation of the existing pipeline of 600 mm diameter to new pipeline of 900 mm dia from Jaisamand take to Udaipur. (Proposal No. FP/RI/ WATER/151001 /2022)

संदर्भः– आपका पत्रांक 264 दिनांक 03.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि विषयांकित कार्य के प्रयोजनार्थ आप द्वारा उक्त एक ही प्रकरण में पहले 1.768 हैक्टेयर, इसके बाद 2.1137 हैक्टेयर एवं अब 2.4938 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। आप द्वारा उक्त प्रस्ताव के क्षेत्रफल में बार–बार परिवर्तन किए जाने से मौका निरीक्षण एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही संपादित करने में इस कार्यालय एवं अधिनस्थ कार्यालय का न केवल अनावश्यक रूप से श्रम एवं समय व्यर्थ हो रहा है अपितु उक्त प्रकरण की सक्षम स्तर से वांछित स्वीकृति प्राप्त करने में भी अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। जो की उचित नहीं है। उचित होगा की आप उक्त कार्य हेतु वास्तव में आवश्यक वन भूमि की गणना का भली–भाँती आँकलन/परिक्षण एक और बार करवा लें ताकी प्रकरण की अनावश्यक लौटाफेरी को टाला जा सके।

यदि वर्तमान में प्रस्तुत किए गए संशोधित प्रस्ताव में आप द्वारा अब पुनः कोई और परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं हो तो निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण करावें/सूचनाएं प्रस्तुत करें:–

1. संदर्भित पत्र से प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की चारों प्रतियों में संलग्न किसी भी दस्तावेज पर आप आप द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए है। प्रस्ताव की चारों प्रतियां इस कार्यालय से प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न सभी दस्तावेजों पर मय मोहर आपके हस्ताक्षर करावें।
2. प्रस्ताव में संलग्न सभी दस्तावेजों पर पृष्ठ क्रमांक अंकित करावें।
3. पुनः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने का औचित्यपुर्ण विवरण प्रस्तुत करें।
4. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को संबंधित राजस्व ग्राम के वास्तविक पैमाने के नक्शे पर चिन्हित कर प्रस्तुत करें।
5. प्रस्ताव में संलग्न की गई जमाबन्दी में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित खसरों को हाईलाइटर से हाईलाइट करावें।
6. प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित कार्य में वन भूमि के अलावा 4.55 हैक्टेयर (NFL) भी उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण संख्या 131/2014 में दिनांक 23.02.2015 को दिये गये निर्णय के अनुसार ऐसी अधिसूचित वन

क्रमशः 2 पर

Scanned by CamScanner

भूमि जिसको वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रभावी होने से पूर्व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये गैर वानिकी प्रयोजनार्थ आवंटित किया गया हो तो इस प्रकार के आवंटन स्वतः निरस्ती योग्य है एवं प्रारम्भ से ही प्रभावहीन है तथा ऐसी भूमि को गैर वानिकी प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने हेतु नियमानुसार प्रत्यावर्तन कराया जाना आवश्यक होगा। इसके अलावा यदि उक्त परियोजना के निर्माण में ऐसी कोई भूमि सम्मिलित की गई हो जिसका स्वामित्व वन विभाग का तो नहीं है किन्तु जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 202/95 में दिनांक 12.12.1996 को दिये गये निर्णय के अनुसार वन भूमि के रूप में परिभाषित किया गया हो तो ऐसी भूमि को भी गैर वानिकी प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने हेतु नियमानुसार प्रत्यावर्तन कराया जाना आवश्यक होगा। अतः इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें की "प्रस्ताव में सम्मिलित 4.55 हैक्टेयर गैर वन भूमि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण संख्या 131/2014 में दिनांक 23.02.2015 को दिये गये निर्णय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 202/95 में दिनांक 12.12.1996 को दिये गये निर्णय के अनुसार वन भूमि की परिभाषा में नहीं आती है एवं इसका प्रत्यावर्तन करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है"

7. आप द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 5670–71 दिनांक 18.04.2023 के अनुसार प्रस्ताव में पाई गई कमियों की बिन्दुवार पालना प्रस्तुत नहीं की जाकर संदर्भित पत्र से मात्र यह अवगत करा दिया गया है कि "आक्षेपों को दूर कर प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया है"। जो की उचित नहीं है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संशोधित प्रस्ताव में नॉडल कार्यालय के उक्त पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से 12 के अनुसार पाई गई कमियों की पूर्ति कर लिए जाने की पुष्टी हेतु आप द्वारा की गई कार्यवाही/प्रस्ताव में संलग्न किए गए दस्तावेजों का पृष्ठ कमांक अंकित करते हुए बिन्दुवार पालना प्रस्तुत करें।
8. उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर, उदयपुर के पृथक–पृथक आदेशों के द्वारा राजस्व ग्राम मामादेव तहसील कुराबड़ के आराजी नं. 1217 में उपलब्ध कुल रकबा 40.8740 हैक्टेयर में क्रमशः 1.9637 हैक्टेयर एवं 0.3801 हैक्टेयर कुल 2.3438 हैक्टेयर गैर वन भूमि आरक्षित की गई है जो की आपस में लगती हुई है। अतः आप द्वारा पृथक–पृथक अपलोड की गई केएमएल के स्थान पर कुल 2.3438 हैक्टेयर की एक केएमएल फाईल अपलोड करावें। उक्त प्रकरण में तहसील कुराबड़ के राजस्व ग्राम मामादेव में आरक्षित 2.3438 हैक्टेयर एवं तहसील खेरवाड़ा के विकास नगर में वन विभाग हेतु आरक्षित 0.15 हैक्टेयर गैर वन भूमि के नामान्तरण प्रमाण–पत्र एवं जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करावें।

भवदीय,

(सुगनाराम जाट)
भा.व.से.
उप वन संरक्षक,
उदयपुर

क्रमशः 3 पर

Scanned by CamScanner

कमांकः–एफ( )/तकनिकी/उ.व.स./2023–24/5761-66 दिनांकः–31/07/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
2. जिला कलक्टर, उदयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, परियोजना संभाग, उदयपुर।
4. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, परियोजना खंड–प्रथम, उदयपुर।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुराबड़ को प्रेषित कर लेख है कि राजस्व ग्राम मामादेव तहसील कुराबड़ के आराजी नं. 1217 कुल रकबा 40.8740 हैक्टेयर में से वन विभाग हेतु आरक्षित कुल 2.3438 हैक्टेयर NFL के सभी बिन्दुओं के GPS Coordinates दर्शाते हुए नजरी नक्शा एवं राजस्व नक्शा (जिस पर NFL को मार्क किया गया हो) प्रस्तुत करें। इसके अलावा उक्त NFL पर क्षतिपुर्ति वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में विद्यमान श्रमिक दरों से प्राक्कलन एवं संलग्न प्रारूप में CA Scheme तैयार कर प्रस्तुत करें।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सराड़ा।

उप वन संरक्षक,
उदयपुर

Scanned by CamScanner